

छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नया रायपुर 492002

क्रमांक: एफ 16-05/2015/नौ/55-4,

नया रायपुर, दिनांक: 29 APR 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषय:-प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार हेतु राज्यांतर्गत एवं राज्य के बाहर स्थित निजी चिकित्सालयों को मान्यता प्रदान करने बाबत।

-----00-----

राज्य शासन एतद्वारा विभागीय समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 31 मार्च 2016, 25 अप्रैल 2016, 28 जून 2016 (संशोधित समसंख्यक ज्ञापन), 29 जून, 2016, 02 अगस्त, 2016, 03 नवम्बर, 2016 एवं 08 फरवरी, 2017 द्वारा राज्यांतर्गत एवं राज्य के बाहर स्थित विभिन्न निजी चिकित्सालयों को शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार हेतु दिनांक 31/03/2017 तक मान्यता की स्वीकृति प्रदान की गई थी, के अनुक्रम में, राज्यांतर्गत स्थित निम्नलिखित 45 निजी चिकित्सालयों एवं राज्य के बाहर स्थित निम्नलिखित 38 निजी चिकित्सालयों को प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार हेतु दिनांक 01/04/2017 से दिनांक 31/03/2018 तक की अवधि हेतु मान्यता की स्वीकृति प्रदान करता है:-

--: राज्यांतर्गत स्थित निजी चिकित्सालय :-

क्रं.	संस्था का नाम	रिमार्क
✓01	बाल गोपाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल, बैरन बाजार, रायपुर।	
✓02	जाउलकर हॉस्पिटल, कंकाली तालाब के पास, रायपुर।	
03	किम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, बिलासपुर।	
04	रायगढ़ मेट्रोकेयर हॉस्पिटल्स।	
05	धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल, धमतरी।	
✓06	श्री मेडिशार्इन हास्पिटल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर।	
✓07	रामकृष्ण केयर हास्पिटल, पचपेढी नाका, रायपुर।	
✓08	श्री बालाजी सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल, मोवा, रायपुर।	

क्रमशः...2...

क्रं.	संस्था का नाम	रिमार्क
✓ 09	संजीवनी सीबीसीसी कैंसर हास्पिटल, दावड़ा कॉलोनी, पचपेड़ी नाका चौक, रायपुर।	
✓ 10	सुयश हास्पिटल, कोटा-गुढ़ियारी रोड, कोटा, रायपुर।	
✓ 11	ओम नेत्र केन्द्र, पण्डरी, रायपुर।	
✓ 12	यशवंत हास्पिटल, तात्यापारा, रायपुर।	
13	ओ.पी.जिंदल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, रायगढ़।	
✓ 14	विशारद् हॉस्पिटल, रायपुर।	
✓ 15	आरोग्य हॉस्पिटल, शंकर नगर, रायपुर।	
✓ 16	वी0वाय0 हॉस्पिटल, कमल विहार, सेक्टर-12, न्यू धमतरी रोड, रायपुर, छ0ग0।	
✓ 17	श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, लक्ष्मी नगर, पचपेड़ी नाका, रायपुर।	
18	स्पर्श मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, श्री राम मार्केट, सिरसा रोड, राम नगर, भिलाई।	
✓ 19	भवानी डायग्नोस्टिक सेन्टर, नियर वोलफोर्ट ओजोन, फाफाडीह चौक, रायपुर।	केवल रेडियोलॉजिकल जांच हेतु।
✓ 20	लाईफवर्थ सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, समता कॉलोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़।	
21	अपोलो हॉस्पिटल, सीपत रोड, बिलासपुर, (छ.ग.)	
22	मार्क हॉस्पिटल, ब्रिलियन्ट स्कूल कैम्पस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर, (छ.ग.)	
23	मुंदड़ा हॉस्पिटल, मंगला चौक, बिलासपुर	केवल General Orthopadic Hospital हेतु
✓ 24	एस्कार्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टर लिमिटेड, रायपुर, छ.ग.	
✓ 25	MGM Eye Hospital, Vidhansabha Road, Raipur	
✓ 26	जैन डेन्टल केयर हॉस्पिटल, आर.डी.ए. कॉम्प्लेक्स, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर, (छ.ग.)	
27	श्री बालाजी ट्रामा एण्ड सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, कोरबा, छत्तीसगढ़	
28	अपोलो बी.एस.आर. हॉस्पिटल्स, स्मृति नगर, भिलाई।	
✓ 29	श्री माँ शारदा आरोग्य हॉस्पिटल, रायपुर।	
✓ 30	श्री नारायणा हॉस्पिटल, गंज मण्डी के पास, सेक्टर-5 के पीछे, देवेन्द्र नगर, पंडरी, रायपुर।	
✓ 31	साई बाबा नेत्रालय, छोटी रेल लाईन के पास, फाफाडीह, रायपुर।	केवल ओसीटी जांच हेतु।
32	श्री शिशु भवन, ईदगाह रोड, मध्यनगरी चौक के पास (प्रेस क्लब बिल्डिंग के सामने), बिलासपुर, छत्तीसगढ़।	

क्रं.	संस्था का नाम	रिमार्क
33	चन्दूलाल चन्द्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल, नेहरू नगर चौक, जी.ई. रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़।	
34	कालडा कॉस्मेटिक सर्जरी इंस्टीट्यूट एण्ड बर्न सेंटर, आर.के.सी. के पीछे, जी.ई. रोड, रायपुर।	
35	विवेकानंद नेत्रालय एवं रिसर्च सेंटर, बुढ़ातालाब गार्डन के पास, ब्रम्हपुरी रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़	केवल ओसीटी जांच हेतु
36	मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हॉली क्रॉस स्कूल के पास, अवंति बाई चौक, पण्डरी, रायपुर।	
37	नारायण हृदयालय एम.एम.आई., धमतरी रोड, लालपुर, रायपुर।	
38	ए.एस.जी. हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, शक्ती नगर मेन रोड, रायपुर	केवल ओसीटी जांच हेतु
39	Shri Retina Care Superspeciality Eye Clinic, Shankar Nagar Square, Raipur (C.G.)	केवल रेटिना (Retina) उपचार हेतु।
40	R.S. Polyclinic & Diagnostic Centre, Tatibandh, Raipur (C.G.)	केवल प्रसूति एवं स्त्रीरोग रोग उपचार हेतु।
41	Om Hospital, Near HP Petrol Pump, Mahadev Ghat Road, Raipura Chowk, Raipur (C.G.)	केवल 1. अस्थिरोग / ट्रामा 2. जनरल सर्जरी / मेक्सिलोफेसियल सर्जरी / बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी हेतु 3. मेडिसिन / शिशुरोग 4. आई.सी.यू. / स्त्रीरोग न्यूरोलॉजी उपचार हेतु
42	Upadhyay Hospital, Arjun Vihar, Near Harshit Tower, Mahoba Bazar, Raipur (C.G.)	केवल 1. जनरल आर्थोपेडिक 2. प्रसूति एवं स्त्रीरोग 3. जनरल मेडिसिन उपचार हेतु
43	Mata Laxmi Nursing Home & Investigation Centre Pvt. Ltd., Anupam Nagar, Near T.V. Tower, Raipur (C.G.)	केवल प्रसूति एवं स्त्रीरोग उपचार हेतु
44	Shri Krishna Hospital, Main Road, New Rajendra Nagar, Raipur (C.G.)	केवल 1. General Surgery. 2. Nephrology, 3. Gyneacology, 4. General Medicine, 5. Orthopedic/Trauma 6. Dental & Maxillofacial Surgery उपचार हेतु
45	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), रायपुर, छत्तीसगढ़।	

क्रमशः...4...

--: राज्य के बाहर स्थित निजी चिकित्सालय ::--

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली।
2. जी.बी.पंत हॉस्पिटल, नई दिल्ली।
3. बी.एच.यू. हॉस्पिटल, वाराणसी।
4. के.ई.एम. हॉस्पिटल, मुंबई।
5. बाम्बे हॉस्पिटल, मुंबई।
6. जसलोक हॉस्पिटल, मुंबई।
7. बी.वाय.एन.नायर हॉस्पिटल, मुंबई।
8. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई।
9. नानावटी हॉस्पिटल, मुंबई।
10. श्री चित्रा तिरुणाल इंस्टीट्यूट, चेन्नई।
11. सी.एम.सी. वेल्लोर।
12. निजाम इंस्टीट्यूट, हैदराबाद।
13. पंडालिया कार्डियो-थोरेसिक फाउंडेशन, चेन्नई।
14. शंकर नेत्रालय, चेन्नई।
15. अपोलो हॉस्पिटल, चेन्नई।
16. पी.जी.आई., लखनऊ।
17. सदरन रेल्वे हॉस्पिटल, पेरामपुर।
18. एल.एन.टी.पी. हॉस्पिटल, नई दिल्ली।
19. एस्कार्ट हार्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली।
20. बत्रा हॉस्पिटल, नई दिल्ली।
21. अपोलो हॉस्पिटल, हैदराबाद।
22. इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, दिल्ली।
23. लीलावती हॉस्पिटल, मुंबई।
24. मेट्रो हॉस्पिटल, नोएडा, दिल्ली।
25. मेडविन हॉस्पिटल, हैदराबाद।
26. सर गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली।
27. चोइथराम हॉस्पिटल इंदौर (केवल जांच हेतु)।
28. स्पंदन हार्ट इंस्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर, नागपुर।
29. यशोदा हॉस्पिटल, हैदराबाद।
30. फोर्टिस एण्ड लाफ्रेस फोर्टिस हॉस्पिटल (दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित हॉस्पिटल की समस्त शाखायें)।




क्रमशः...5...

31. मैक्स देवकी हार्ट एण्ड वास्कुलर इंस्टीट्यूट, सुपरस्पेशलिटी हास्पिटल, (दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित हॉस्पिटल की समस्त शाखायें)।
32. मेदांता-द मेडीसिटी, गुडगांव, (हरियाणा)।
33. प्राईमस (सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल), चंद्रगुप्त मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
34. मैक्स सुपरस्पेशलिटी हास्पिटल, 1-प्रेस इनक्लेव रोड, साकेत, प्रतापगंज, इन्द्रप्रस्थ, न्यू दिल्ली।
35. स्योरटेक हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर लिमिटेड, नागपुर।
36. Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Insitute, Road No.- 10, Banjara Hills, Hydrabad.
37. मेदांता सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, इन्दौर।
38. प्लेटिना हार्ट हॉस्पिटल, धनश्री कमर्शियल काम्प्लेक्स, होटल हरदेव के पास, सिताबुल्दी, नागपुर को केवल **Only for Adult Heart patients** के उपचार हेतु।

2/ राज्यांतर्गत प्रकरणों में मान्यता प्राप्त अस्पतालों में शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों का उपचार कराये जाने हेतु संबंधित जिले के सिविल सर्जन की अनुशंसा अनिवार्य होगी। आकस्मिक परिस्थिति में ईलाज प्रारम्भ करने से 48 घन्टे की समय सीमा के अंदर संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर एवं संबंधित विभागाध्यक्ष को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा तथा आकस्मिक परिस्थिति में उपचार कराये जाने संबंधी प्रकरणों में नियमानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

3/ राज्य के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार कराने हेतु मरीजों को प्रथमतः चिकित्सा महाविद्यालय के रेफरल कमेटी का रेफरल प्रमाण पत्र तथा चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय में संबंधित रोगों की जांच/उपचार/विषय विशेषज्ञों की सुविधा उपलब्ध न होने पर, यथास्थिति, संयुक्त-संचालक-सह-अधीक्षक/उप संचालक, शासकीय /मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सा संस्थाओं में रिफर कर सकेंगे। आकस्मिक परिस्थिति में ईलाज प्रारम्भ करने से 48 घन्टे की समय-सीमा के अंदर संचालक, चिकित्सा शिक्षा एवं संबंधित विभागाध्यक्ष को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा तथा आकस्मिक परिस्थिति में उपचार कराये जाने संबंधी प्रकरणों में नियमानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

4/ उपरोक्त मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के सदस्यों की उपचार की दर सी.जी.एच.एस. योजना के अंतर्गत केन्द्र शासन के कर्मचारियों हेतु लागू उपचार की दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जावें।



क्रमशः...6...

5/ उक्त मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के सदस्यों का उपचार कराए जाने पर ईलाज तत्काल शुरू किया जावेगा एवं उनसे अग्रिम धन राशि के अभाव में ईलाज में लापरवाही नहीं की जावेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,


(सुनील विजयवर्गीय)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 16-05/2015/नौ/55-4,
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक: 29 APR 2017

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
3. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
6. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
8. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर।
9. सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, मंत्रालय, नया रायपुर।
10. सचिव, लोक सेवा आयोग, रायपुर।
11. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर।
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
14. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
15. संचालक स्वास्थ्य सेवायें/चिकित्सा शिक्षा/आयुष, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर अपने विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in एवं www.cgdme.co.in में अपलोड करने हेतु।
16. संचालक, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़, रायपुर।
17. निज सहायक, समस्त मंत्री/संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़, रायपुर।
18. सचिव, लोक आयोग/महिला आयोग/किसान आयोग/युवा आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अनुजाति आयोग/मानव अधिकार आयोग/अल्प संख्यक कल्याण आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर।
19. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़, रायपुर।
20. संचालक, जन संपर्क, छत्तीसगढ़, रायपुर।

क्रमशः...7...

21. अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/रायगढ़/राजनांदगांव, प्राचार्य शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर/प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर।
22. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
23. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
24. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, छत्तीसगढ़।
25. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.cg.nic.in/gadonline में अपलोड करने हेतु।
26. संबंधित चिकित्सालय
-
-
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
27. स्टाक फाईल।


अधर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग